राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 07 / 2018

सुमन देवी पत्नी राजपाल जाति अहीर उम्र 38 वर्ष निवासी अहीरों की ढाणी तन् डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादिया

ब–ना–म

1. सत्यनारायण पुत्र जयदयाल
2. जयसिंह पुत्र जयदयाल जाति अहीर निवासी अहीरों की ढाणी तन् डाडाफतेहपुरा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।
4. रामकला पुत्री जयदयाल
5. फूला पुत्री जयदयाल
6. रमेश पुत्री जयदयाल
7. कृष्णा पुत्री जयदयाल
8. मुन्नी पुत्री जयदयाल समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी अहीरान तन् डाडाफतेहपुरा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक व खाता विभाजन

–: निर्णय :– **दिनांक 13–07–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26–04–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 134 खसरा 1348, 1404 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है. में से खसरा नंबर 1404 कुल रकबा 0.60 है. के रकबा 0.5220 है. किस्म बारानी–1 में वादिया को रकबा 0.15 है. किस्म बारानी–1 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादिया के 0.15 है. हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष भूमि मृतक खातेदार जयदयाल के [illegible] वारिश प्रतिवादी सं. 1 से 2 व प्रतिवादी सं. 4 लगा. 8 की यथावत [illegible] रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी ([illegible]स्व मण्डल) नियम [illegible] के नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/2048 दिनांक 08.06.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 के अनुसार अंतिम डिक्रि किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') के अंतिम डिक्रि किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्रि किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्रि का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्रि जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner